न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष, राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017

शिविर स्थल :– अटल सेवा केन्द्र, अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री मोहनलाल प्रतिहार, R.A.S.

प्रकरण संख्या : 261/14

1 अशोक कुमार सुमन पुत्र श्री कालूलाल, जाति माली, निवासी ग्राम अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (वादी)

बनाम

1. अयोध्या बाई पुत्री भवानी शंकर उर्फ भवाना उर्फ घांसी पत्नी तेजमल, जाति माली
2. तेजमल पुत्र रामदयाल, जाति माली

निवासीगण ग्राम गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा (प्रतिवादीगण)

वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज. टी. एक्ट

निर्णय

दिनांक : 15.06.2017

राज्य सरकार की ओर से संचालित न्याय आपके द्वार 2017 अभियान के अन्तर्गत ग्राम पंचायत अरण्डखेडा, के अटल सेवा केन्द्र में आयोजित राजस्व लोक अदालत में पत्रावली पेश हुई। राजस्व लोक अदालत में उपस्थित होने वाले पक्षकारान को सुना गया। वादी की ओर से पेश किये गये वाद पत्र के अनुसार भवानीशंकर उर्फ भवाना उर्फ घांसी के कब्जे काश्त व संयुक्त खाते की आराजी खसरा नम्बर 974 की 0.51 हैक्टर, 1021 की 0.40 हैक्टर, 1027 की 0.06 हैक्टर, 1028 की 0.46 हैक्टर, 1029 की 0.37 हैक्टर, 1648 की 1.49 हैक्टर, 2270/1633 की 0.26 हैक्टर कुल किता 7 रकबा 3.55 हैक्टर आराजी वाके ग्राम अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित है। जिस आराजी में भवानी शंकर उर्फ भुवाना उर्फ घांसी का समभाग से 1/2 हक व हिस्सा निहित है। –साथ ही– खसरा नम्बर 972 की 0.29 हैक्टर, 973 की 0.05 हैक्टर, 1339 की 0.08 हैक्टर, 1651 की 0.04 हैक्टर, 1665 की 0.07 हैक्टर, 1656 की 0.04 हैक्टर कुल किता 6 रकबा 0.57 हैक्टर आराजी वाके ग्राम अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में स्थित है जिसमें भवानी शंकर उर्फ भुवाना उर्फ घांसी का समभाग से 1/3 हक व हिस्सा निहित है। वादी अशोक कुमार सुमन, भवानी शंकर उर्फ भुवाना उर्फ घांसी का सगा भतीजा है और भवानी शंकर ने अपने जीवनकाल में ही वादी की सेवा सुश्रुषा से प्रसन्न होकर अपनी उक्त वर्णित आराजीयात में निहित हिस्से एवं चल अचल सम्पत्ति की वसीयत वादी के पक्ष में जरिये वसीयतनामा दिनांक 14.05.2014 को निष्पादित करा दी थी, जिस वसीयतनामें को नोटेरी पब्लिक से तस्दीक कराया गया और उक्त वसीयतनामें पर गवाहान धनराज सुमन एवं पुरूषोत्तम के समक्ष भवानी शंकर उर्फ भुवाना ने अपनी वसीयत वादी के पक्ष में आलेखित की थी, जिसके आधार पर वादी मृतक भवानी शंकर उर्फ भुवाना उर्फ घांसी का वसीयती हकदार है और उक्त मृतक के हिस्से की आराजी पर उनके जीवनकाल से ही काश्त करता आरहा है और आज भी उसी का कब्जा है। मृतक भवानी शंकर उर्फ भुवाना उर्फ घांसी से पूर्व, वादी के साथ ही निवास करते थें और उनकी सेवा सुश्रुषा तथा मृत्सु उपरान्त उनका क्रियाकम्र आदि सब वादी द्वारा ही किया गया और खातेदार भवानीशंकर जी का स्वर्गवास दिनांक 10.06.2014 को हो चुका है और उनकी मृत्यु उपरान्त वादी बतौर वसीयती हकदार उनका फौती इंतकाल अपने हक में करवाकर उनके स्थान पर दोनों खातों में अपना नाम रेकार्ड में दर्ज कराने व खातेदार घोषित होने का अधिकारी है, तथा मृतक की अन्य समस्त चल अचल सम्पत्ति पर भी वादी ही उनके स्वर्गवास के उपरान्त से बतौर मालिक व स्वामी काबिज चला आ रहा है। खातेदार भवानी शंकर उर्फ भुवाना उर्फ घांसी का वास्तविक नाम भवानीशंकर ही है किन्तु खाता संख्या नया 98 में उनका नाम भवानीशंकर के स्थान पर घांसी दर्ज हो रहा है तथा खाता संख्या नया 274 में उनका नाम भुवाना दर्ज हो रहा है, जो भी गलत है, और जिन्हें भी वादी माननीय न्यायालय की सहायता से दुरूस्त करवाकर सही नाम भवानी शंकर दर्ज कराने का अधिकारी है। भवानी शंकर जी

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन अतिरिक्त कलक्टर
केम्प

की पत्नी का पूर्व में स्वर्गवास हो चुका है और उनके एकमात्र जायन्दा पुत्री प्रतिवादिनी क्रम 1 है। मृतक की सम्पत्ति में एवं आराजी में प्रति. नं. 1 का कोई हक या हिस्सा नहीं है किन्तु फिर भी भवानी शंकर की मृत्यु के उपरान्त प्रतिवादिनी नं. 1 द्वारा राजस्व अधिकारियों को गलत तथ्य बताकर दोनों खातों में मृतक के स्थान पर स्वयं का नाम दर्ज कराने का प्रयास किया जा रहा है तथा प्रतिवादी क्रम 2, प्रतिवादी क्रम 1 का पति है और जिन्हें वादी के मना करने पर वे झगडा फसाद करते है और बलपूर्वक मृतक के खाते की आराजी से वादी को बेदखल कर कब्जा करना चाहते है, जिसका कि उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी के पक्ष में इस आशय की डिक्री सादिर फरमाई जावें कि खाता संख्या 98 एवं 274 वाके ग्राम अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा में खातेदार भुवाना व घांसी के स्थान पर वास्तविक नाम भवानीशंकर दर्ज करते हुये रिकार्ड में दुरूस्ती की जावे। खातेदार भवानीशंकर के खाते की खसरा नं. 974, 1021, 1027, 1028, 1029, 1648, 2270/1633 की 7 किता रकबा 3.55 हैक्टर वाके ग्राम अरण्डखेडा के भवानीशंकर के 1/2 हिस्से में खसरा नम्बर 972, 973, 1339, 1651, 1655, 1656 की 6 किता रकबा 0.57 हैक्टर वाके ग्राम अरण्डखेडा के भवानीशंकर के 1/3 हिस्से तक मृतक भवानी शंकर पुत्र नन्दा के स्थान पर वादी का नाम मृतक की वसीयत दिनांक 14.05.2014 के आधार पर रिकार्ड में दर्ज करते हुये खातेदार घोषित कर अमल दरामद किया जावे तथा प्रतिवादीगण क्रम 1 व 2 के विरूद्ध वादी के कब्जे काश्त में मजाहमत व मदालखत नहीं करने बाबत स्थाई निषेधाज्ञा जारी करें।

वाद पत्र के प्रत्युत्तर में प्रतिवादी क्रम 1 व 2 की ओर से प्रतिवाद पत्र पेश कर निवेदन किया गया कि प्रतिवादी क्रम 1 के पिता द्वारा वादी के पक्ष में वसीयतनामा आलेखित करना स्वीकार नहीं है। वादी द्वारा पेश की गई वसीयत फर्जी, बनावटी व मिथ्या है। वाद पत्र में वर्णित विवादित आराजी में प्रतिवादी क्रम 1 के पिता का हिस्सा दर्ज राजस्व रिकार्ड में होना स्वीकार है। वादी का कोई हक व अधिकार स्व. भवानी शंकर उर्फ भुवाना उर्फ घांसी की सम्पत्ति में नहीं है, न ही वादी का कोई सम्बन्ध उनसे रहा है तथा वादी का कभी कोई कब्जा उनके हिस्से की आराजीयात पर ही रहा है, न ही आज है बल्कि प्रतिवादी नं. 1 स्व. भवानी शंकर उर्फ भुवाना उर्फ घांसी जी की एकमात्र जायन्दा पुत्री है तथा अपने पिता की हर प्रकार की सेवा सुश्रुषा करती रही है। वादी का कोई कब्जा नहीं है, न कीाी रहा है। कब्जे के अभाव में धारा 188 राज.टी.एक्ट का वाद काबिल निरस्तनीय है व चलने योग्य नहीं है।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजात का आद्योपान्त अवलोकन अध्ययन किया। वादी की ओर से पेश की गई जमाबन्दियों में विवादित आराजी घांसी, कालू पिता नन्दा एवं भुवाना, कालू पिता नन्दा के नाम दर्ज रिकार्ड है। इस प्रकार स्पष्ट है कि विवादित आराजी पैतृक आराजी है जिसमें घांसी/भुवाना व कालू के नाम विवादित आराजी दर्ज रिकार्ड है। प्रतिवादी क्रम 1 के पिता भवानीशंकर द्वारा वादी के पक्ष में की गई, नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित वसीयत दिनांक 14.05.2014 की फोटोप्रति, वादी द्वारा अपने कथन के समर्थन में पेश की गई है। उक्त वसीयत केवल/मात्र नोटेरी पब्लिक से प्रमाणित है अर्थात पंजीकृत नहीं है। अपंजीकृत दस्तावेज न्याय निर्णयन में स्वीकार योग्य नहीं होने तथा पैतृक आराजी की वसीयत आदि नहीं करने की बाध्यता के चलते वादी के पक्ष में की गई वसीयत विधिग्राहय नहीं है। अतः उपरोक्त दोनों जमाबन्दियों की विवादित आराजी में घांसी उर्फ भुवाना की जायन्दा पुत्री प्रतिवादी क्रम 1 अयोध्या बाई पुत्री भवानीशंकर को उसके हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है तथा घांसी उर्फ भुवाना के स्थान में अयोध्या बाई पत्नी श्री तेजमल का नाम अंकित किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। उपरोक्त विवादित आराजीयात में वादी, अपंजीकृत वसीयत के आधार पर खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। अतः वाद वादी अस्वीकार कर खारिज करने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है।

निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 15.06.2017 को ग्राम अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में न्याय आपके द्वार 2017 अभियान के अन्तर्गत आयोजित राजस्व लोक अदालत में सुनाया गया।

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी, कोटा
न्याय आपके द्वार-2017
राजस्व लोक अदालत

पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन अतिरिक्त कलक्टर
केम्प

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं अध्यक्ष, राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार–2017

शिविर स्थल :– अटल सेवा केन्द्र, अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा

पीठासीन अधिकारी– श्री मोहनलाल प्रतिहार, R.A.S.

बउनवान –

1 अशोक कुमार सुमन पुत्र श्री कालूलाल, जाति माली, निवासी ग्राम अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा (वादी)

बनाम

1. अयोध्या बाई पुत्री भवानी शंकर उर्फ भवाना उर्फ घांसी पत्नी तेजमल, जाति माली
2. तेजमल पुत्र रामदयाल, जाति माली
   निवासीगण ग्राम गन्दीफली, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा
2. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार, लाडपुरा, कोटा (प्रतिवादीगण)

दावा बाबत : 88, 89, 188 RTA
मुकदमा नम्बर : 261 / 14
निर्णय दिनांक : 15.06.2017

न्याय आपके द्वार–2017 के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मानसगांव, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा में आयोजित राजस्व लोक अदालत में पक्षकारान की सुनवाई एवं पत्रावली पर उपलब्ध समस्त राजस्व अभिलेखों के आद्योपान्त अवलोकन उपरान्त आज तारीख 15–06–2017 को (डिक्रीदार) पीठासीन अधिकारी श्री मोहनलाल प्रतिहार, आर.ए.एस. (उपखण्ड अधिकारी, कोटा) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिये पेश होने पर विवादित आराजी वाके ग्राम अरण्डखेडा, तहसील लाडपुरा के खसरा नं. 974, 1021, 1027, 1028, 1029, 1648, 2270/1633, 972, 973, 1339, 1651, 1655, 1656 की 13 किता रकबा 4.12 हैक्टर में घांसी उर्फ भुवाना की जायन्दा पुत्री प्रतिवादी क्रम 1 अयोध्या बाई पुत्री भवानीशंकर को उसके हिस्से का खातेदार घोषित किया जाकर घांसी उर्फ भुवाना के स्थान पर अयोध्या बाई पत्नी श्री तेजमल दर्ज किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। उपरोक्त विवादित आराजीयात में वादी, अपंजीकृत वसीयत के आधार पर खातेदार घोषित नहीं किया जा सकता है। अतः वाद वादी अस्वीकार कर खारिज करने के आदेश प्रदान किये जाते है। डिक्री पर्चा पृथक से जारी किया गया। तहसीलदार, लाडपुरा को आदेशानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किये जाने के आदेश प्रदान किये जाते है। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करें।

यह डिक्री आज तारीख 15.06.2017 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(मोहनलाल प्रतिहार)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, कोटा

वाद के खर्चे

वादी			प्रतिवादी		
1.	वाद पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया	1.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प	रूपया
2.	शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प		2.	अर्जी के लिये स्टाम्प	
3.	अदर्शो के लिये स्टाम्प		3.	प्लीडर के लिये फीस	
4.	..... रूपये पर प्लीडर की फीस		4.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय	
5.	साक्षियों के लिये निर्वाह–व्यय		5.	आदेशिका की तामिल	
6.	कमिश्नर की फीस आदेशिका की तामिल		6.	कमिश्नर की फीस	
जोड			जोड		